न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर बैंच जबलपुर (म.प्र.)

प्र.क्रं. /2017 प्रस्तुत दिनांक 21.08.2017

1. श्रीमति सुधा अग्रवाल पत्नि स्व. रतनचंद अग्रवाल
2. देवेन्द्र अग्रवाल आत्मज स्व. रतनचंद अग्रवाल
3. जितेन्द्र अग्रवाल आत्मज स्व. रतनचंद अग्रवाल
4. महेन्द्र अग्रवाल आत्मज स्व. रतनचंद अग्रवाल

सभी निवासी ग्राम नारायणगंज तह. नारायणगंज
जिला मण्डला (म.प्र.) .... पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

बत्ती बाई पति श्यामजीत
निवासी ग्राम खैरी तह. नारायणगंज
जिला मण्डला (म.प्र.) .... उत्तरवादी

राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 7 म.प्र.वास स्थान दखलकार

(भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980

पुनरीक्षणाधीन आदेश :–

श्रीमान् अपर कलेक्टर मण्डला ने रा.अ.क्रं. 12 (ब–121) 2015–16 श्रीमती सुधा अग्रवाल विरूद्ध पार्वती बाई में पारित आदेश दिनांक 20.06.2017 के विरूद्ध ।

परिसीमा :–

उक्त आदेश की जानकारी पुनरीक्षणकर्ताओं को दिनांक 21.06.2017 को प्राप्त होने पर उसी दिनांक को ही आवेदन उक्त आदेश की सत्य प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 24.06.2017 को प्राप्त होने पर आज दिनांक को 60 दिन के अंदर समय–सीमा में यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है ।

प्रकरण के तथ्य :–

उत्तरवादी ने अधीनस्थ न्यायालय में शासकीय भूमि ग्राम खैरी में मकान बना होना बताते हुए आवेदन पत्र पट्टा दिये जाने बाबद् दिया था जिस पर फिर अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारों को नोटिस देकर पटवारी से प्रतिवेदन लिया तथा अपीलार्थी जितेन्द्र अग्रवाल का जवाब लेकर विवादित आदेश दिनांक 30.07.2013 को पारित किया है जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगणों के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं. 1785 (ब–121) 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2013 अपील माननीय कलेक्टर महोदय मण्डला में प्रस्तुत की गई । उक्त अपील को कलेक्टर महोदय मण्डला ने दिनांक 20.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/मंडला/भू.रा./2017/3086

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.एस. चौकसे उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर</u>**	